1 श्रीमती निर्मला पत्नि नरेन्द्र कुमार वैष्णव निवासी 6–डी–17 चन्द्रशेखर आजादनगर, भीलववाड़ा	बनाम	1. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा शाखा लव गार्डन के पास, भीलवाड़ा
–प्रार्थी		–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 सी0पी0सी0 के तहत **प्रकरण संख्या** 86 **/ 2018**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.05.2018	प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीया ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे। न्यायालय की पत्रावली मूल अपील में तलब की गई। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21.05.2018 को पेश हो। जिला कलक्टर भीलवाड़ा	
21/5/2018	पत्रावली पेश हुई। जिला अभिभाषक संस्था, भीलवाड़ा द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया है। अतः पत्रावली आइन्दा कार्यवाही के लिये दिनांक 5/6/2018 को पेश हो। रीडर जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रार्थीया की ओर से वकालतनामा पेश किया। व अप्रार्थी की ओर से अण्डरटेकिंग दी।	B.O.M. की ओर से undertaking dt. 21.5.2018 (भवानी जोशी) अधिवक्ता
5/6/2018	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। पीठासीन अधिकारी जी दीगर कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली आइन्दा कार्यवाही के लिए दिनांक 6/6/2018 को पेश हो। आदेश से	
6/6/2018	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीया एवं अप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 CPC के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया को बिना सुने बैंक के रहन रखी गई सम्पत्ति को निलामी पर आमादा है जिसे रोके जाने हेतु आदेश फरमावें। हमने उभयपक्षों को सुना। प्रकरण में स्वयं प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न स्थाई लोक अदालत के प्र० सं०	

141/2018 आदेश दि. 5/4/2018 से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया बैंक के रहन रखी गई सम्पत्ति की निलामी हेतु DRT जयपुर से ही राहत प्राप्त कर सकती है। वही स्थिति इस न्यायालय की है। अर्थात प्रार्थीया को बैंक के रहन रखी गई सम्पत्ति का सिम्बोलिक पजेशन से पूर्व सरफेसी एक्ट 2002 की धारा 13(2) के तहत विधिवत सूचना पत्र बैंक स्तर से जारी किया जाकर भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु इस न्यायालय में दर्ज प्रार्थना पत्र सं. 13/2018 निर्णय दिनांक 3-1-2018 से बैंक के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लिए जाने हेतु आदेश जारी किए जा चुके हैं। इस न्यायालय स्तर से सम्पत्ति की निलामी के सम्बन्ध में कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रार्थीया इस तथ्य को स्वयं स्वीकार करती है कि उसके द्वारा DRT में स्थगन हेतु प्रकरण दायर कर रखा है ऐसी स्थिति में जो भी आदेश DRT जयपुर से जारी होंगे उसके लिए सम्बन्धित बैंक बाध्य होगी। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)